रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-24092025-266337
CG-MH-E-24092025-266337

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4214] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2025/आश्विन 1, 1947
No. 4214] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2025/ASVINA 1, 1947

रेल मंत्रालय
(मध्य रेलवे)
अधिसूचना

मुंबई, 11 सितम्बर, 2025

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20A के तहत

का.आ. 4332(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 ‘ए’ के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची मे दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के नागपूर जिला में ” इटारसी – नागपूर तीसरी शेष लाईन” की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है , ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशन कि तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम कि धारा 20घ कि उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए एसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध मे आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, नागपूर (ग्रामीण), महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों कि सुनवाई करने तथा

ऐसी जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे , आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय मे उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नागपूर जिला में " इटारसी – नागपूर तीसरी शेष लाईन" रेल्वेमार्ग के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

अ. क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 के अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूधारणा पद्धति	7/12 के अनुसार कुल क्षेत्र हे. आर.	संपादन क्षेत्र हे. आर.
1	01/अ - 65/2025-26	पिटेसूर	नागपूर (ग्रा.)	सययद रेहान अली बलद सैय्यद	15/अ	1	0.89	0.115
2				इनामुल हबीब अंजुम रिदा इनामुल हबीब अंजुम	15/ब	1	0.89	0.039
3				इनामुल हबीब अंजुम	18	1	1.58	0.169
						कुल	**3.36 हे.आर**	**0.323 हे.आर.**

[फा. सं. G197/Itarsi-NGP /Pitesur Vlg/20A]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th September, 2025

Under clause 20A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 4332(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (No.11 of 2008), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely Itarsi – Nagpur 3rd Railway line in the district of Nagpur in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Sub divisional officer and Land Acquisition Officer , Nagpur (Rural), Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project Itarsi – Nagpur balance 3rd Rail line in the district of Nagpur in the State of Maharashtra.

Sr. No.	Land Acquisition Case No.	Name of Village	Taluka	As per 7/12 Land holder's name	Survey No.	Land Holding Method	Total area as per 7/12 (H.a .)	Acquisition area (H.a.)
1	01/A-65/2025-26	Pitesur	Nagpur (Rural)	Sayyad Rehan Ali Vald Saiyyad	15/A	1	0.89	0.155
2				Inamul Habib Anjum Rida Inamul Habib Anjum	15/B	1	0.89	0.039
3				Inamul Habib Anjum	18	1	1.58	0.169
						Total	**3.36 Ha.**	**0.323 Ha.**

[F. No. G197/Itarsi-NGP /Pitesur Vlg/20A]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.09.24 14:19:34 +05'30'